"It shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the Government of India."

It is a matter which is not, directly, the concern of the Central Government. ...(*Interruptions*)... Rule 238(v) is very clear. अगर किसी हाई अथोरिटी के बारे में डिसकशन होना है तो Substantive motion दिया जाता है। यहां कोई substantive motion नहीं दिया गया है, इसलिए इस पर कोई चर्चा या इस पर किसी भी प्रकार परमिशन देने का कोई औचित्य, जो Rules of Procedure and Conduct of Business है, रूल्स 169(xiii) और 238(v) के तहत इसकी अनुमति दी जाना, इस रूल के तहत संभव नहीं है। इसलिए जैसी आपने आसंदी से व्यवस्था दी है, यदि कोई मैटर उठता है तो उसे सदन की कार्यवाही में नहीं लाया जाना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: After seeing all the rules of admissibility, the hon. Chairman has taken a decision that since this does not come under the purview of the Central Government, this cannot be admitted. That is what I have made, here, very clear, and if, in spite of that, you want to raise it here, what can I do? ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: This is the affidavit. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: मंत्री जी, आप शुरू कीजिए। ...(व्यवधान)... अरे भाई डिस्टर्बेंस होती रहेगी, काम होता रहेगा, क्या बात है। ...(व्यवधान)... मंत्री जी आप कृपया रेप्लाई कर दीजिए। ...(व्यवधान)... आप बोल दीजिए।

SHORT DURATION DISCUSSION

Tardy implementation of National Rural Employment Guarantee Scheme in some States of the Country—*(contd.)*

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): उपसभापति महोदय, रोजगार गारंटी कानून ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to complete the business. ...(*Interruptions*)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him move a substantive motion. ...(*Interruptions*)... Mr. Ramachandraiah, Zero Hour notice is not a notice under rules. That is why you move a substantive motion. ...(*Interruptions*)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: इसीलिए जो ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: ऐसे तो कोई बिजनेस कम्पलीट नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: रोजगार गारंटी कानून का उद्देश्य था, आज उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। ...(**व्यवधान**)... राज्यों को राशि दी गई है और वे पैसे राज्यों के पास जमा हैं ...(**व्यवधान**)... देश में इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ...(**व्यवधान**)... डेढ़ लाख से अधिक काम पूरे हुए हैं ...(**व्यवधान**)... इनमें water conservation ...(**व्यवधान**)... water harvesting से ...(**व्यवधान**)... देश के 400 जिलों में पानी की कमी रहती है। इसलिए water conservation और forestry जैसे कामों को हमने top priority दी है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 12.45 p.m.

The House then adjourned at twenty-seven minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at forty-five minutes past twelve of the clock.
[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: (Andhra Pradesh): Sir, I had given a notice, and you had permitted yesterday. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: 'Yesterday' was yesterday; 'today' is today. ...(*Interruptions*)... You please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, *grameen* land *diwani* to SCs and STs ...(*Interruptions*)... I am not taking anybody's name. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have discussed it sufficiently. Now, nothing more. ...(*Interruptions*)... It is a State Subject. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: This land belonged to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and the OBCs, ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no, this has not been permitted. ...(*Interruptions*)... This has not been permitted. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... No, it is a State subject. ...(*Interruptions*)... It does not come under the purview of the Central

Government. ...(*Interruptions*)... This issue cannot be raised here. ...(*Interruptions*)... The State Assembling is debating it, and it is for the State to ...(*Interruptions*)...

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): हम सदन से वाक आऊट कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

श्री उपसभापति: हनुमंत राव जी, वे जा रहे हैं। आप बैठिए। मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमने हिन्दुस्तान के करोड़ों मजदूरों, गरीबों की ओर से आसन के प्रति, आपके प्रति आभार व्यक्त किया कि आपने उच्च सदन में इस पर बहस चलाने के लिए इजाजत दे दी कि रोजगार गारंटी कानून कैसे लागू किया गया और क्या स्थिति है। इसलिए हिन्दुस्तान के करोड़ों ग्रामवासियों की ओर से मैं आपका और आसन का आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, इसके बाद माननीय श्री नारायणसामी जी और अन्य सदस्यों ने जो मूव किया और करीब 17 सदस्यों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया, उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए। जब उच्च सदन में गांवों के करोड़ों गरीबों के विषय में बहस हो, तो मैं इस विश्वास पर पहुंचता हूं कि हिन्दुस्तान में अब गरीबी और बेकारी नहीं रहेगी, भागेगी और गांवों का विकास होगा, गांव समृद्ध होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि 2020 तक हिन्दुस्तान भी दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। महोदय, उच्च सदन में गांवों की बहस हो, यह कोई साधारण बात नहीं है। महोदय, देश के 200 जिलों में फेज में रोजगार गारंटी कानून लागू हुआ है. करीब 87 हजार पंचायतों और करीब 2 लाख गांवों में यह कानून लागू हुआ है। महोदय, हमने 200 जिलों में review किया है। Review करने में हमने देखा है कि 120 जिलों में एक नम्बर का काम चल रहा है। 80 जिलों में कुछ काम पीछे है। 17 माननीय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक और गम्भीरता से इस विषय पर बहस में भाग लिया, सरजमीं की बात की, जानकारी दी और बताया, उससे हमको बड़ा लाभ हुआ। उनके सुझावों की मैं कद्र करता हूं। माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। महोदय, देश में यह 200 जिलों में लागू हुआ लोगों ने उसके लागू करने में जो कुछ खामियां गिनाईं कि awareness की कमी है, मैं स्वीकार करता हूं कि सुदूर देहात में अभी awareness की कमी है। फिर लोगों ने सुझाव दिया है कि strict vigilance monitoring होनी चाहिए। मैं इससे सौ फीसदी सहमत हूं। लोगों ने कहा है कि सदन को विश्वास में रखा जाए। महोदय, इसके लागू होने के दिन से जो भी सत्र हुआ है, सबमें हमने स्टेटस रिपोर्ट से सदन को अवगत कराया है। इस समय भी हमारा स्टेटस रिपोर्ट तैयार है। इस जवाब के बाद मैं फिर इसे देने वाला हूं कि अभी तक की क्या स्थिति है। लोगों ने वही awarness की कमी और कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि जो अभी तक Wage Employment Programme है, जो लागू हुआ, जितनी त्रुटिया थीं, उन सारी

त्रुटियों को निर्मूल कर दिया गया है। महोदय, इस में zero tolerance to the corruption ऐसी व्यवस्था है। महोदय, कोई जानबूझकर जेल जाने को तैयार हो, वहीं गड़बड़ी कर सकता है। ऐसी गड़बड़ी की गुंजाइश इस कानून में नहीं है क्योंकि इसे देशव्यापी समर्थन मिला है। इस पर दुनिया की नजर लगी हुई है। इसे समझने के लिए कल ईरान के मंत्री महोदय आए थे, हमारे यहां तो गांवों में 74 फीसदी लोग रहते हैं, ईरान में 35 फीसदी गांवों में रहते हैं। वहां भी अन-एम्पलायमेंट है, कल ही ईरान के मंत्री महोदय समझने के लिए आए थे कि यह रोजगार गारंटी कानून आप ने कैसे लागू किया है? इस से पहले दक्षिण अफ्रीका के, मलावी के, ससेक्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इसे समझने के लिए आए। महोदय, वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी सभी लोगों का ध्यान इस पर लगा हुआ है, सभी लोग जानना चाहते हैं। ऐसा अद्‌भुत कानून देश में लागू हुआ है।

महोदय, इसीलिए मैंने सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है। माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव और राज्यवार विवरण दिए हैं। महोदय, कल उदय प्रताप सिंह जी ने गरीब के प्रति एक पंक्ति कही थी। महोदय, उस पंक्ति के विषय में गोपाल सिंह नेपाली ने कहा कि, ''दिन गए बरस गए, यातना गयी नहीं, रोटियां गरीब की, प्रार्थना बनी रही। श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा, बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गयी नहीं।'' महोदय, गरीबी हट नहीं रही। यह बेरोजगारी और गरीबी हमारे माथे पर कलंक है और हिंदुस्तान को इस से मुक्ति पाना है। यही कवि ने चिंता व्यक्त की। विद्यापति जी ने अपनी कविता में कहा, ''कखन हरव दुख मोर हे भोलानाथ, कखन हरव दुख मोर। दुख ही जनम भेल, दुख ही जिया उल, सुख सपनहिं नहीं भेल ऐ भोलानाथ, कखन हरव दुख मोर।'' मतलब जनता की पीड़ा, गांव के लोगों की पीड़ा का वर्णन इन कवियों ने अपनी इन पंक्तियों में किया है। उस से हम संवेदनशील होते हैं और गरीबी व बेरोजगारी के खिलाफ जो जंग छेड़ी गयी है, उस जंग में यह रोजगार गारंटी कानून एक सख्त कदम है। इसलिए इस में जिन लोगों ने हमें सावधान और सजग किया है, उस की हम ने कद्र की है। उस पर हम बहुत मुस्तैद है और सावधान हैं कि किसी भी हिसाब से हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। इस में हमने चार सूत्रीय फार्मूला लागू किया है-people participation यानी जन-भागीदारी, State vigilance and monitoring यानी कड़ी निगरानी की व्यवस्था, transparency यानी पारदर्शिता, accountability यानी उत्तरदायित्व। यह चार सूत्रीय फार्मूला लागू करने से zero tolerance to the corruption की इसमें व्यवस्था है।

महोदय, माननीय सदस्य श्री नारायणसामी जी ने सवाल उठाया कि इसे राज्यों द्वारा ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन in total जो संपूर्ण देश की स्थिति है, अभी तक 87 हजार पंचायतों में 1 करोड़ 65 लाख बीपीएल हैं। ये गरीबी रेखा से नीचे हैं। हम अपना मेजरमेंट मानते हैं। कम-से-कम बीपीएल की संख्या तक मजदूरों की मांग हो जाए, तो मैं मानता हूं कि वहां पर यह योजना सफल है। महोदय, देशभर का जो एवरेज है उस के हिसाब से अभी तक 3 करोड़ 25

लाख जॉब काड्र्स इश्यू किए गए हैं। अब जब जॉब कार्ड इश्यू हो जाते हैं, वह उन को अधिकार पत्र है, उस के बाद वह पिटीशन देकर मजदूरी के काम की मांग करते हैं। जो काम मांगते हैं उनकी संख्या है 1 करोड़, 23 लाख। महोदय, यह अक्टूबर तक की रिपोर्ट है। यह महीने-महीने बढ़ रही है। नवम्बर की रिपोर्ट हम आगे देंगे, लेकिन अक्टूबर तक की रिपोर्ट है जिस के अनुसार 1 करोड़ 23 लाख परिवारों ने काम की मांग की। जब उन्हें 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलेगा तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का कानून में प्रावधान है।

श्री अमर सिंह: मंत्री जी, हम दे रहे हैं बेरोजगारी भत्ता।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: आप बेराजगारी भत्ता दे रहे हैं पढ़-लिखे लोगों को। यह है बिना पढ़े-लिखे, कम पढ़-लिखे, आधा पढ़े-लिखे लोगों को।

श्री अमर सिंह: नहीं-नहीं, उन को भी दे रहे हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: यह अच्छा काम किया है। महोदय, इससे 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को रोजगार मिला। दुनिया में कहां ऐसी कानून और व्यवस्था है—इस कानून को लागू हुए 10 महीने ही हुए हैं, 2 फरवरी, 2006 को इस कानून को लागू किया गया था, अभी इसके 10 महीने ही बीते हैं, साल भी नहीं लगा है। इसलिए कहते हैं कि कहीं-कहीं टीथिंग ट्रबुल, जो शुरूआत में प्रारंभिक कठिनाई होती है, वह वैसा हो सकता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)... बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इसमें हमने अभी तक 6 हजार 138 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए हैं। राज्यों ने भी अपना हिस्सा 464 करोड़ रुपए रिलीज़ किए हैं। इस प्रकार महोदय, इसमें टोटल राशि 6 हजार 602 करोड़ है। राज्यों के पास अभी 9 हजार 111 करोड़ रुपए का फंड अवेलेबल है। इसमें से अभी क 3 हजार 671 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इससे अभी तक करीब-करीब 40.37 करोड़ मैन डेट्स सृजित हुए हैं। लोग कहते हैं कि किसको और कैसे काम मिला? माननीय सदस्यों ने भी सवाल उठाये थे। इसमें अभी तक शैडयूल्ड कास्ट के लोगों की 23 प्रतिशत भागीदारी, साझेदारी हुई है, उनको काम मिला है। शैडयूल्ड ट्राइब के लोगों को ज्यादा काम मिला है। शैडयूल्ड ट्राइब के 41 प्रतिशत लोगों ने काम किया है। जहां तक विमेन की बात है, अभी श्रीमती वृंदा कारत जी नहीं हैं, लेकिन और भी कई बड़े लोग तथा महिला सदस्य कहते हैं कि महिला को तिहाई दीजिए, तिहाई दीजिए। इस कानून में लोगों ने लिखवाया। लेकिन महोदय, असल में इसमें महिलाओं की 40 फीसदी भागीदारी है, इसमें उनको काम मिला है। यह more than 33% है। 16.08 करोड़ ...(**व्यवधान**)...

1.00 P.M.

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): मुसलमानों को भी कुछ दिया है ...(**व्यवधान**)... सिर्फ बातें कहते हैं ...(**व्यवधान**)...

شری شاہد صدیقی : مسلمانوں کو بھی کچھ دیا ہے۔مداخلت۔ صرف باتیں کہتے ہیں ۔مداخلت۔

श्री उपसभापति: वे बोल रहे हैं ...(**व्यवधान**)... वे बोल रहे हैं...(**व्यवधान**)...

श्री शाहिद सिद्दिकी: मुसलमानों को भी दिलाइए ...(**व्यवधान**)...कि सिर्फ डिनर खिलाएंगे, डिनर ...(**व्यवधान**)...

شری شاہد صدیقی : مسلمانوں کو بھی دلائیے ۔مداخلت۔ کہ صرف ڈنر کھلائیں گے ڈنر ۔مداخلت۔

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, अल्पसंख्यकों के लिए अभी कैबिनेट ने पास किया कि इसके बेनिफिशियरीज में अल्पसंख्यकों का हिस्सा 15 परसेंट से कम नहीं होना चाहिए और ...(**व्यवधान**)...

श्री शाहिद सिद्दिकी: होना चाहिए मिला नहीं ...(**व्यवधान**)...

شری شاہد صدیقی : ہونا چاہیے، ملا نہیں۔مداخلت۔

श्री उपसभापति: इसके बाद पास किया है ...(**व्यवधान**)...मिलेगा ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सारे देश में सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने माइनॉरिटी वाले कानून को लागू कर दिया। महोदय, हमने देश भर में संदेश और गाइडलाइन्स में सुधार कर दिया कि उसमें माइनॉरिटी को भी हक मिल कर रहेगा। हमने इसमें सभी राज्यों को अपने गाइडलाइन्स में सुधार करके दिया। देश में सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वह 15 सूत्री कार्यक्रम, जो हमारी कैबिनेट ने पास किया है, उसको सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लागू किया है।

महोदय, इसमें कुछ लोग कहते हैं, कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि पैसे पानी की तरह बहा दिये जाएंगे, नाली में चला जाएगा। ऐसा नहीं है, महोदय। विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान में और दुनिया में पानी का संकट पैदा होने वाला है। विशेषज्ञ बताते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि NREGA में Water Mission की तरह काम किया जाए और हमने उसको स्वीकार किया है। अभी क्या स्थिति है? अभी देश भर

†[]Transliteration in Urdu Script.

में काम जो लगा हुआ है, वह करीब 4.49 करोड़ योजनाएं हैं। मतलब 4 करोड़ 49 लाख योजनाएं चल रही हैं, 2 लाख गांवों में। मतलब प्रत्येक गांव में हमारे 2 से अधिक काम हो रहे हैं, जारी हैं। इसमें काम कितना पूरा हुआ? इसमें 1.58 लाख काम पूरा हुआ है, यानी डेढ़ लाख से अधिक वर्क्स इन प्रोग्रेस की संख्या 2.91 लाख है, मतलब यह 2 लाख 91 हजार है। इसमें 1.63 लाख वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग का काम है। मतलब इसमें 1 लाख 63 हजार काम लगा हुआ है, जिनमें से महोदय, water conservation के 45 हजार 207 कार्य पूरे हुए हैं। 2-3 वर्षों में देश में जो पानी की समस्या आती, ग्राउंड वाटर नीचे जाता, पानी की कमी होती, इसलिए drought-proofing, water conservation, फॉरेस्ट्री, इन सभी कामों को हमने टॉप प्रायरिटी में रखा है। मैं इन सभी कार्यों का विवरण सदन में बता रहा हूं। माइक्रो इरिगेशन में 0.03 लाख में से 763 कार्य पूरे हो चुके हैं। वॉटर वर्क्स में 1,33,5523 काम कम्प्लीट हो चुके हैं और 2,55,413 ऑन गोइंग हैं। इस तरह 3,88,965 कार्य केवल वॉटर वर्क्स के लिए, पानी के लिए हुए हैं।

रोड वर्क्स में 43,815 कार्य पूरे हो चुके हैं और 64,552 ऑनगोइंग हैं, कुल मिला कर यह 1,08,367 हैं। इस तरह 4,49,417 जगहों पर काम किया जाना था, जिनमें से 1,58,353 स्थानों पर कम्प्लीट हो गया है और 2,91,064 स्थानों पर ऑनगोइंग है, अभी इन स्थानों पर कार्य चल रहा है। इस सबके पीछे दो प्रकार के उद्देश्य थे, एक तो गांवों से पलायन रुके, उसके लिए लोगों को गांव में ही रोजी या रोज़गार मिले, साथ ही परमानैंट एसैट भी तैयार हो।

विभिन्न माननीय सदस्यों ने हमें सुझाव दिया कि स्थायी सम्पत्ति का सृजन होना चाहिए, इसीलिए मैं इस सदन को एवं माननीय सदस्यों को स्थायी सम्पत्ति के सृजन का विवरण दे रहा हूं। उन्हें सब जानकारी दे कर मैं तथ्यों से अवगत करवा रहा हूं कि इसका मूल्यांकन करके देखा जाए और यह इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करके देखा जाए कि यह काम कितने लाभदायक हैं और भविष्य में इनसे कितना फायदा होगा।

महोदय, सरसरी निगाह से जो भी व्यक्ति देश भर के विकास का टोटल ब्यौरा देखेगा, वह यही कहेगा कि यह योजना पूर्ण सफलता की ओर जा रही है। इसका जो भी उद्देश्य था और साथ ही जो लोगों की भावना, विश्वास और आशा थी, उसी के अनुरूप यह सब काम हो रहा है।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) पीठासीन हुए]

यह बात सही है कि अभी 80 जिलों में काम कुछ पीछे हैं, उसका कारण यह है कि जैसे ही हमने 2 फरवरी को इस योजना की शुरूआत की, चुनाव आयोग बीच में आ गया। उन्होंने कहा कि इसमें कोड लागू होना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि हम इसमें कोड लागू नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कानून है और यदि कोड के चलते यह कार्य रुकेगा तो राज्य को बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ेगा। इसके पश्चात् उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें हम नहीं राकेंगे, किन्तु नए कार्यों को मंजूर नहीं किया जाएगा। इस तरह हमने चुनाव आयोग से बात-चीत की।

महोदय, उसके पश्चात् असम में विधान-सभा के चुनाव हुए, पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुए, केरल में चुनाव हुए, तमिलनाडु में चुनाव हुए, मेघालय में उप-चुनाव हुए, बिहार और हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव हुए और फिर उसके बाद बरसात शुरू हो गई। इन सभी कारणों से यह काम रुका रहा। हमने 80 जिलों में मोनिटरिंग की है, वहां पर हमें जितनी आशा थी, उससे कम काम हुआ है। यहां पर जानकारी और एवेयरनेस की कमी भी थी, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि एक साल पूरा होते होते यह अपने रूप में आ जाएगा और फिर स्वयं लोग कहने लगेंगे, समझने और बोलने लगेंगे कि यह योजना सौ-फीसदी सही दिशा में जा रही है।

शुरू में श्री नारायणसामी जी ने चिंता प्रकट की कि कुछ राज्यों ने अपना ही नाम लिख कर यह लिख दिया कि फलां राज्य रोज़गार गारंटी कानून। महोदय, इस संबंध में हमने सभी राज्यों के साथ बैठक की और उनसे कहा कि यह नैशनल रूरल इम्प्लॉएमेंट गारंटी ऐक्ट के नाम से पास हुआ है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के नाम से पास हुआ है और इस तरह यह राष्ट्रीय अधिनियम है, लेकिन आप इस पर राज्य का नाम कैसे लिख सकते हैं। सभी राज्यों ने इस बात को स्वीकार किया और हमसे इस संबंध में सहमति व्यक्त की। सभी ने यह कहा कि जो पेपर छप चुके हैं सो छप चुके हैं, लेकिन अब इसके ऊपर मोटे अक्षरों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लिखा जाएगा और उसके बाद राज्य का नाम, जिले का नाम और योजना का नाम लिखा जाएगा, जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार यह सही है कि प्रारंभ में कुछ राज्यों ने इसे ठीक ढंग से नहीं लिखा था, किन्तु अब सभी राज्यों ने इस संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की है। इस संबंध में हमने सर्कुलर भी जारी किया और उसी के अनुसार कानून में भी लिखा-पढ़ी चल रही है।

श्री नारायणसामी जी ने अगला सवाल उठाया कि जॉब कार्ड किस तरह सेक्रेटरी के घर में चला गया, इंजीनियर के घर में चला गया या कलैक्टर के घर में चला गया। महोदय, ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ था। जब हमने सेक्रेटरी से पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है तब उन्होंने जवाब दिया कि हमने वोटर लिस्ट को देखकर जॉब कार्ड बांट दिए ताकि कोई यह न कहे कि किसी परिवार के साथ भेदभाव हुआ है या हमें नहीं दिया गया है। हमने उनसे कहा कि इस प्रकार तो कानून का उल्लंघन हुआ है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया।

श्री वेंकैया नायडु जी ने पेटीशन के बारे में पूछा था, अभी वह यहां पर नहीं बैठे हुए है, महोदय, पेटीशन में एप्लीकेशन देने के लिए केवल नाम, पता, गांव का नाम इत्यादि देना होता है, उसमें और कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह कानून से संबंधित है और कोर्ट में कभी भी इस ब्यौरे की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए यह कहा जाता है कि एक साधारण कागज़ पर केवल नाम व पता लिख कर आप अपनी दरख्वास्त दीजिए कि हम काम चाहते हैं। इसी तरह से जब कहीं से रिपोर्ट आई तक उन्होंने सवाल उठाया था, लेकिन अब उसका सुधार हो गया है।

फिर महोदय, नारायणसामी जी ने और माननीय सदस्यों ने तथा श्री वेंकैया नायडु ने कहा कि इसमें दो प्रतिशत ही स्थापना खर्च है। महोदय, हम इसको केबिनेट में तुरन्त ले गए और केबिनेट ने ई०एफ०सी० के पास भेजा। ई०एफ०सी० ने 5 परसेंट स्थापना खर्च देने की सहमति दी। हम कुछ दिनों में केबिनेट में जा रहे हैं, अब दो प्रतिशत स्थापना खर्च नहीं रहेगा, 5 परसेंट स्थापना खर्च हो जाएगा, केबिनेट से पारित होने के बाद। इसलिए माननीय सदस्यों की जिज्ञासा के मुताबिक उसमें केन्द्र सरकार तत्पर है कि हम राज्यों की सहायता करें। कहा गया कि अधिकारी नहीं हैं, कर्मचारी नहीं हैं। हमने कहा कि हर ब्लौक में प्रोग्राम आफिसर बहाल करो, उसका खर्च केन्द्र सरकार देगी। पंचायतों में रोजगार सेवक बहाल करो, उसका वेतन केन्द्र सरकार मुहैया कराएगी। 5 पंचायतों पर एक जूनियर इंजीनियर बहाल करो उसका खर्च केन्द्र सरकार देगी। महोदय, इस तरह से हम राज्य सरकारों की सहायता कर रहे हैं।

सुश्री अनुसूइया उइके (मध्य प्रदेश): महोदय, मुझे चर्चा में मौका नहीं मिला इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please Ms. Anusuiya ...(*Interruptions*)...

सुश्री अनुसूइया उइके: मध्य प्रदेश में 18 जिलों में आपने राष्ट्रीय रोजगार योजना लागू की है। मैंने आपको पत्र के माध्यम से लिखा है कि चूंकि छिंदवाड़ा जहां पर 42 परसेंट ट्राइबल की संख्या है और हर वर्ष लोग हजारों की संख्या में रोजगार के लिए पलायन करते हैं, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप छिंदवाड़ा को भी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना में शामिल कर लें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: हम इस बारे में भी बतला देंगे। ...(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) Please, Mr. Pany, let the Minister complete the reply. You may speak after the Minister completes his reply. Please don't disturb ...(*Interruptions*)...Please, don't disturb.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, जब उन लोगों ने सवाल उठाया था दो प्रतिशत के लिए, फिर विभिन्न माननीय सदस्यों ने कहा कि जिलों की संख्या बढ़ाई जाए। राजस्थान के कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया था। लेकिन कानून में प्रावधान है कि 5 वर्षों में देश भर में लागू हो जाएगा, अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, हमने दूसरा चरण की तैयारी शुरू कर दी है। योजना आयोग द्वारा जिलों के चयन करने का काम क्राइटेरिया के आधार पर होता है, इसमें कोई भेदभव नहीं होता है। हमने डेढ़ सौ जिले फूड फॉर वर्क में शुरू किए थे। शैड्यूल्ड कॉस्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की पौपुलेशन क्या है, नम्बर-1, नम्बर-2, वहां पर वेजेज क्या है। ...(**व्यवधान**)

श्री नारायण सिंह केसरी (मध्य प्रदेश): महोदय, मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं मैंने किया, हमने किया। सरकार ने किया या मंत्री जी ने किया?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: हम तो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। महोदय, जिलों का चयन क्राइटेरिया के आधार पर होता है। 150 जिलों का चयन हुआ था। उसमें शैड्यूल्ड कॉस्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, पौपुलेशन, वेजेज इन दि डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोडक्टिविटी इन दि डिस्ट्रिक्ट, इन तीन क्राइटेरिया पर जो जिले देश भर में चुने गए तो 150 जिले आ गए। महोदय, उसके बाद हमको एम्प्लोयमेंट गारंटी योजना में 200 जिले करना था। तो समविकास में जो पहले से चुने हुए जिले थे, वेंकैया नायडु जी सवाल पूछ रहे थे, उन्हीं के समय में समविकास आया था। उन्ही जिलों को हमने भी मान लिया और इस तरह से 200 जिले पूरा हुए 45 समविकास से और 5 लर्निंग इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट से, इसलिए क्राइटेरिया के आधार पर पिछड़ापन, ड्रोट-प्रोन-एरिया, सुखाड़, शैड्यूल्ड कॉस्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स पौपुलेशन, गरीबी के क्राइटेरिया के आधार पर चुना जाता है तो सेकंड फेज करेंगे। तो निश्चय ही जो सदस्य सवाल उठा रहे हैं उनके जिले भी उसमें आ जाने की गुंजायश है।

महोदय, मिनिमम वेजेज के सम्बन्ध में विभिन्न माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया, मिनिमम वेजेज अहम चीज है। महोदय, अभी तक वेज एम्प्लोयमेंट जितने दिनों से लागू है मिनिमम वेज का कोई जिक्र नहीं करता था। रोजगार गारंटी कानून की यह खूबी है कि अब उस पर लोगों का ध्यान गया है। कुछ सदस्यों ने कहा कि देश भर में एक मजदूरी कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। आप हमको सुझाव दीजिए कि हम क्या करें। नॉर्थ-ईस्ट से लेकर केरल तक चालीस, पैंतालिस, पचास, अट्ठावन, साठ, पैंसठ, सत्तर, तिहत्तर, अस्सी, एक सौ, एक सौ बीस, एक सौ पच्चीस यह मजदूरी देश भर के विभिन्न राज्यों में है। हम कोई एक तय करेंगे, तो ज्यादा वाला राज्य हमसे भिड़ेगा, हम कम वाला तय करेंगे, तो फिर कम वाला भी हम से भिड़ेगा। इसीलिए हमने कानून में जो प्रावधान किया, देश का जो मिनीमम वेजिज एक्ट, 1948, सैक्शन 3 जो लागू है, वही लागू रहेगा और जरूरत पड़ने पर ही केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करेगी। अभी तक हमने कोई जरूरत महसूस नहीं की है। राज्यों का जो अपना शैड्यूल रेट होता है, उस हिसाब से लागू है।

श्री नंद किशोर यादव जी ने सवाल उठा दिया, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने सवाल उठा दिया, 100 दिन का रोजगार दे दिया, 365 दिन में वह 265 दिन क्या करेगा? उपसभाध्यक्ष महोदय, अब देश को समझना चाहिए। यह देश कृषि प्रधान है। खेती में भी मजदूरों की जरूरत है। वह मजदूर खेत में भी काम करेगा, किसान के खेत में काम करेगा और फिर अन्य सरकारी योजनाएं हैं, उनमें भी काम करेगा। जब कहीं काम नहीं मिलेगा, तो 100 दिन के काम की हमने गारंटी दी है। इसीलिए देश को समझना चाहिए, अभी हमारी खेती मेकैनिकल नहीं हुई है। उपसभाध्यक्ष महोदय, खेती में भी मजदूरों की जरूरत है। इसीलिए हमने 100 दिन ही मिनीमम रोजगार की गारंटी दी है।

हमारे कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में भी 100 दिन का रोजगार गारंटी देना शामिल था। उसमें केवल पूअर हाउस होल्ड था, हमने उस बैरियर को हटा दिया है—any परिवार, ए॰पी॰एल॰ हो, बी॰पी॰एल॰ हो, काम करने की इच्छा रखता है, वह दरख्वास्त दे सकता है, यह उसमें प्रावधान किया है।

श्री वेंकैया नायडु जी ने सवाल उठा दिया कि डेढ़ साल का समय आपने लगा दिया। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा था कि food for work हम लागू करेंगे, तुरंत हमने लागू किया। इसके बाद हम एम्पलायमेंट गारंटी लागू करेंगे, एक साल से ज्यादा...। महोदय, सदन में बिल इंट्रोड्यूस किया, स्टैंडिंग कमेटी में बिल गया, उसके बाद उसको दोनों महान सदनों ने पारित किया। अब इसमें समय लगा, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इसलिए उनका यह कहना कि इसको देर से लागू किया, गलत है। फिर, श्री वेंकैया नायडु जी ने बजट का सवाल उठा दिया। वह इस विभाग के मंत्री रहे हैं। उनके समय में, जब वह सन् 2000 में मंत्री थे, 9 हजार करोड़ रूपयें का बजट था और वह हमसे बजट पूछ रहे हैं। 9 दुनी 18, 9 तिया 27, तीन गुणा नहीं, तीन गुणा से अधिक, साढ़े, तीन गुणा 31 हजार करोड़ रुपये का बजट ग्रामीण विकास का है। यूपीए का कॉमन मिनीमम प्रोग्राम—ग्रामीण विकास, ग्रामीण समृद्धि और गरीबों के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। जुबानी जमा खर्च नहीं, बुलाते तो अच्छा होता, जानते और समझतें कि उनके समय में बजट का क्या हाल था, सात हजार करोड़, आठ हजार करोड़, नौ हजार करोड़, एक हजार रुपये सालाना बजट बढ़ता था। उसके बाद नौ हजार करोड़ से बारह हजार करोड़, तेरह हज़ार करोड़, तीन-चार का हिसाब था, बारह-चौदह हजार करोड़ का। जब हमारे हाथ में यह विभाग आया। ...(व्यवधान)...

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (Madhya Pradesh): Sir, what was the total income at that time, three years back? And, what was the percentage allotted to this Department three years back? ...(*Interruptions*)... What is the percentage allotted now, in the total Budget? Rupees 7,000 crores have gone to Rs. 30,000 crores. But what was the total income at that point of time and what is the total income now? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have asked your question. Please, take your seat now. ...(*Interruptions*)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... वर्ष 2000-01 में 9700 करोड़, वर्ष 2001-02 में 12265 करोड़, वर्ष 2002-03 में 13670 करोड़, वर्ष 2003-04 में 14070 करोड़। हर बार हजार-हजार करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है। हमको मिला, वर्ष 2004-05 में हमारा बजट 16000 करोड़, वर्ष 2005-06 में 24000 करोड़ करीब 53 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई। इस बार हमारा बजट 31444 करोड़ है। हम 50 फीसदी ज्यादा छलांग लगाते हैं और आप पांच फीसदी, दस फीसदी की बढ़ोत्तरी करते थे। ...(व्यवधान)... यह आपके सम्पूर्ण शासन-काल के बारे में हमने

बता दिया। आपको गांधी, गांव, गरीब से क्या मतलब? गांधी, गांव, गरीब को देखने वाले लोग इधर है। इधर जो लोग बैठे हुए हैं, इधर जो लोग ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please ...(*Interruptions*)... Please ...(*Interruptions*)... After the Minister completes his reply, you can ask. ...(*Interruptions*)... Please, Mr. Pani. ...(*Interruptions*)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: हिसाब सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उसके बाद भी वहां चुनाव हार गए। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, you address the Chair. ...(*Interruptions*)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: हम जानकारी दे रहे हैं ...(व्यवधान)... कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हम बंधे हुए हैं और इसमें नेता सोनिया गांधी जी भी हैं जो त्याग की मूर्ति हैं। इसके अलावा लेफ्ट के लोग भी हैं ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please don't disturb, (*Interruptions*)

श्री रुद्रनारायण पाणि: आप बिहार में ...(व्यवधान)

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): उड़द की दाल की कीमत पहले 25 रुपए किलों थी आज 65 रुपए किलो है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): पहले सुन लीजिए रिप्लाई के बाद आपको अवसर मिलेगा। ...(व्यवधान)... आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान)..

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, लेफ्ट के लोग, यूपीए के वॉच डॉग खड़े होकर देख रहे हैं कि गरीब से कहीं इनका ध्यान हट तो नहीं रहा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से यह सरकार कभी अलग नहीं हुई और अब तक की सब सरकारों से ज्यादा नैतिक बल इस सरकार में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की चर्चा श्री वेंकैया नायडु जी ने की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन् 2000 में शुरू हुई। मैं याद करा देता हूं, आपका सालाना ढाई हजार करोड़ था। 2000 में ढाई हजार करोड़, 2001 में ढाई हजार करोड़, 2002 में ढाई हज़ार करोड़, 2003 में ढाई हज़ार करोड़, 2004 में भी ढाई हज़ार करोड़। हमारा राज आया। कहा नहीं, चार वर्षों में भारत निर्माण में हम खर्च करेंगे—48 हजार करोड़ यानी 12 हज़ार करोड़ सालाना। ढाई से बारह कितना गुणा अधिक होता है एक गुणा नहीं, दो गुणा नहीं, तीन गुणा नहीं ....(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): मंत्री महोदय, आप बहुत विद्वान आदमी हैं।

श्री अमर सिंह: इसमें कोई शक? ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आपको पता है कि 2000 में जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई, उसका जो फेज़ वाइज़ इम्प्लीमेंटेशन होना था ...(व्यवधान)..

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): सर, ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Rajeev Shukla, please. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): किसने कहा? ...(व्यवधान) मैंने ठाकुर कहा। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: ठाकुर कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल: अच्छा, ठाकुर कह रही हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने कहा, इसमें कोई शक ...(व्यवधान)... ठाकुर ह। ...(व्यवधान)... हे परमात्मा! ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Rajeev Shukla, you cannot speak sitting from here. You have to go to your seat. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: पता नहीं, इनके कान बजते हैं। ...(व्यवधान)...सर गैर शालीन भाषा का प्रयोग न मैंने कभी अपनी जिंदगी में किया है और न करूंगी। ...(व्यवधान)... क्या आपके कान बजते हैं? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): आप बैठिए, प्लीज। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: कान नहीं बजते ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ करियन): अमर सिंह जी, प्लीज़। आप बैठिए बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: वे विद्वान मंत्री हैं, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं पर इनको यह भी पता है कि जब सन् 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई तो उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज़ वाइज़ होना था। बिहार में आपकी सरकार थी। उसके लिए सबसे पहले जमीनों का अधिग्रहण होना था। जमीनों का अधिग्रहण करके उसका कांट्रेक्ट होना था। उसका पैसा कब-कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका अगले दस साल का या बीस साल का 2020 तक क्या प्रोगाम बनेगा, वह सब कुछ बना हुआ है। किस-किस वर्ष में कितना पैसा अलॉट होगा, वह भी बना हुआ है। इत्तेफाक से आप सरकार में आ गए। तो जब अमाउंट रिलीज होना था, तब तक जमीनों

का अधिग्रहण हो चुका, कांट्रेक्ट हो चुके इसलिए पैसा तो रिलीज़ होना ही था। उसमें क्रेडिट लेने की क्या बात है? जिसने फाउंडेशन ले किया ...(**व्यवधान**)... दाल, चावल, लकड़ी, ईंधन-सब आ गया, पानी भी डाल दिया, खिचड़ी बना रहे हैं ...(**व्यवधान**)... खिचड़ी बना रहे हैं, परोसनी हे, उस पर अपनी ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROJ. P.J. KURIEN): Mr. Minister, please. मंत्री जी, बोलिए। ...(**व्यवधान**)...You are not permitted. (*Interruptions*) Shrimati Maya Singhji, please take your seat. (*Interruptions*) Please resume your seat.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमने यह कहां दावा किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): मंत्री जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रघवंश प्रसाद सिंह: हमने यह कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की शुरुआत 2000 में शुरुआत हुई।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) Mr. Amar Singh, you cannot cross like this between the Minister and the Chair.

SHRI AMAR SINGH: Sir, he left his phone.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सन् 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और श्री वेंकैया नायडु जी ग्रामीण विकास मंत्री थे। यह तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन उनका बजट प्रोविजन था ढ़ाई हजार करोड़। यह ढाई हजार करोड़ चार वर्षों तक रहा, लेकिन हमने बजट में पांच गुना बढ़ोतरी की है, मैं यह दावा कर रहा हूं। इसी योजना का ना 'भारत निर्माण योजना' है। यह 'इंडिया शाइनिंग' नहीं है, यह 'भारत निर्माण' है। मैं आपको यह बता रहा हूं। यह जुबानी जमा खर्च नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: हमारा 'भारत उदय' था। भारत उदय और भारत निर्माण। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): You please don't yield. Please complete ...(*Interruptions*)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अगर आपका 'भारत उदय' था तो हमारा 'भारत विजय' है, 'भारत निर्माण' या 'भारत विजय' है, आपकी तरह 'भारत उदय' नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Minister, you please address the Chair. Don't yield. Please try to finish the speech. Otherwise, it will go on like this. (*Interruptions*) Please, please. (*Interruptions*)

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: महोदय, इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री वेंकैया नायडु जी ने कहा कि राज्यों पर खर्चे का बोझ डाल दिया है। वे राज्यों पर खर्चे का वेज इम्पलाइमेंट 25 प्रतिशत डालते थे और हमने दिया है 10 प्रतिशत। 90 फीसदी भारत सरकार दे रही है और 10 फीसदी राज्य सरकार देगी। यह इसलिए किया है क्योंकि इसमें राज्य सरकार की भी भागीदारी रहे। उनकी भी निगरानी, उनकी भी जानकारी, उनकी भी वफादारी उसके साथ रहे। इसलिए नाम मात्र के लिए 10 फीसदी रखा हैं उनका यह कहना कि स्टेट पर खर्चे का बोझ डाल दिया है, सही नहीं है। फिर आगे कहा है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। महोदय, ब्यूरोक्रेसी कहां हावी है? कानून में लिखा है, प्रिंसिपल रोल पंचायती राज का होगा। यह पूछा जाएगा कि 200 जिलों में 87 हजार पंचायतों में ग्राम प्रधान के पास पैसे पहुंच गए हैं या नहीं, इसके साथ ही उनके पास सारे अधिकार हैं या नहीं और इसके लिए उनका पूरा जिम्मा है, या नहीं। यह कानून में लिखा हुआ है। वहां प्रखंडभर के काम को को-आर्डिनेट करने के लिए, जिले भर के हिसाब की देखरेख करने और उसे को-आर्डिनेट करने के लिए कलैक्टर अथवा वहां का प्रोग्राम आफिसर को-आर्डिनेटर है। मालिक पंचायती राज है, महात्मा गांधी जी का सपना था 'ग्राम स्वराज' इसलिए हमारी नस-नस में स्वराज की कल्पना है, ग्राम पंचायत की कल्पना है। जो संविधान का 73वां संशोधन है, उसमें जो आर्टिकल-243 है, उसमें लिखा है, 'ग्राम सभा', लोक सभा, विधान सभा और ग्राम सभा। ग्राम सभा कभी भंग नहीं होगी, क्योंकि कांसटीटयूशनल वादी है। इस पर भी लोगों ने सवाल उठाया है। क्या लोगों ने आर्टिकल-243 देखा नहीं है? वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वे सभी इसके सदस्य हैं। वह ग्राम सभा भंग नहीं होगी। लोस सभा की आयु पांच वर्ष या कम, विधान सभा की आयु पांच वर्ष या कम, लेकिन महोदय 'ग्राम सभा' अजर-अमर संस्था है। आर्टिकल-243 ...(**व्यवधान**)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: नहीं, नहीं आप राज्य सभा क्यों नही बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH: Article 243, Gram Sabha.

श्री रूद्रनारायण पाणि: लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Pany, let him finish. पाणि जी, आप बैठिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: राज्य सभा उच्च सदन है, आप यह भी जान लीजिए। इसलिए द्वि-सदनीय व्यवस्था में लोक सभा और राज्य सभा चलती है, इस पर देश और दुनिया में बहस चल रही है। महोदय, उन्होंने अवेयरनेस की कमी कहा है, जिसको हमने स्वीकार किया है इसलिए हमें अवेयरनेस में माननीय सदस्यों और सदन का सहयोग चाहिए। हमने बजट पर उत्तर दे दिया है backward district initiative मे भी क्राइटेरिया के आधार पर चयनित है। महोदय उन्होंने पढ़ने में

प्रो॰ जॉन ड्रेज का कागज पढ़ा है—मुझे आश्चर्य लगता है कि दिल्ली में इन्टेलेक्युअल्स और बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको मैओरियल प्रैस की कतरन से मिलता है। ये वही प्रैस की कतरन पढ़ रहे थे। महोदय, मैं कहता हूं, 'तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी'। सरजमीं पर क्या हो रहा है, प्रेस की कतरन या दिल्ली में रहने वालो को बहुत कुछ नही बताएगा, दिल्ली में क्या स्थिति है। उन्होंने फिर कहा कि हमारा साइन बोर्ड लगाने का निदेश है, ट्रांसपेरेंसी का हमारा निदेश है माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव जी ने कहा कि एक परिवार के एक ही आदमी को हम रोज़गार दे रहे है। माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव जी ने कहा कि एक परिवार के एक ही आदमी को हम रोज़गार दे रहे हैं, नहीं, एक परिवार में दो-तीन लोगों को भी रोज़गार मिल सकता है, मिल रहा है। इसमें 100 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति को रोज़गार देने की गारंटी है, इन 100 में उसके परिवार के दो-तीन सदस्य भी हो सकते हैं। परिवार का अर्थ है-न्यूक्लियर फैमिली, यानी एक आदमी और उस पर आधारित बच्चे, उसका परिवार। यह कोई बड़ा परिवार नहीं है, यह कानून में लिखा हुआ है। हमने 265 दिनों का बता दिया, आप सहमत होंगे कि 100 दिन है lean period में, जिस समय गरीबों को गांवों में काम मिलता है, उस समय के लिए वह व्यवस्था है। अन्य योजनाओं में जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मजदूरों के लिए काम है, नहर सिंचाई आदि योजनाओं में मजदूरों को काम मिलता है, किसान के खेत में काम मिलता है। इसलिए मिनिमम वेज भी हम अनाप-शनाप नहीं बढ़ा सकते हैं। किसान के खेत में काम रहा है, उसके मुकाबले इधर सरकारी योजनाओं में अगर हम अनाप-शनाप मजदूरी बढ़ा दें, तो किसान के खेत में काम करने के लिए कोई मजदूर नहीं जाएगा। इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जिससे खेती पर कुप्रभाव पड़े। इसलिए हमने राज्यों पर छोड़ा है कि खेतों में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी और राज्यों में जो सरकारी काम हो रहे है, उनकी न्यूनतम मजदूरी वे तय करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती वृंदा कारत जी मजदूरों के लिए बहुत चिंतित रहती हैं। जो time and motion study पहले शुरु हुई, उसमें wage employment था। गरीब आदमी मिट्टी काटता और माथे पर डालता, बगल में डालेगा, तो इसकी कीमत अलग होगी, यहां से 100 फीट दूर ढोकर जाएगा, उसकी कीमत अलग होगी, डेढ़ सौ फीट दूर जाएगा, तो उसकी कीमत अलग होगी। इसी तरह कितनी दूर तक वह मिटटी काटेगा, उसकी कीमत अलग होगी। इसलिए हमने राज्यों को कहा कि इसमें सुधार करिए। For the first time in the history of India, मजदूरों के minimum wage पर बहस चली है। लोग कहते हैं कि कम मिल रहा है। हरेक राज्य में तय है कि कितनी मिट्टी काटने से कितना पैसा मिलेगा। अब असल में मिट्टी काटी जा रही है और मिट्टी काटने के बाद नाप-तोल हो रही है, नाप-तोल होने के बाद उसको पैसे मिलते हैं। पूरे दिन में जितनी मिट्टी काटी जानी चाहिए, अगर वह उतनी नहीं काटता है, तो उसको आधी ही मजदूरी मिलती है। इसलिए लोग कहते हैं कि कम मिल रहा है, कम मिल रहा है। इसलिए minimum wages के संबंध में हम सदन

को अवगत कराना चाहते हैं कि इसमें राज्यों के द्वारा जो निर्धारित scheduled rate है,, minimum wages उसके आधार पर ही मिल रहे हैं, उसमें केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई हस्ताक्षेप नहीं किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बारे में श्री नन्द किशोर यादव जी ने सवाल उठाया था। प्रारंभ में राज्य सरकार गंभीर नहीं थी, उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर नही थी, हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी को पत्र भेजा, ऐडीशनल सेक्रेटरी को पत्र भेजा, माननीय मुख्यमंत्री से भेंट हुई, हमने तीन पत्र लिखे, उसके बाद सुधार हुआ है।

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आपके विभाग का सबसे अच्छा काम हो रहा है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: हमें तो राज्यों से काम कराना है, हम क्या कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने के सिवाय क्या कर सकते हैं?

महोदय, सी.पी.एम. के नेता श्री मोइनुल हसन ने low expenditure के बारे में कहा। हमने low expenditure का वर्णन किया है। यह 10वां महीना बीत रहा है, 5 राज्यों में कैसे कठिनाई हुई, 80 जिलों में हमारा काम पीछे चल रहा है, लेकिन हमारे माननीय सदस्यों ने सलाह दी है कि NGOs का इस्तेमाल किया जाए। हमने कहा है कि awareness लाने के लिए और उसके social audit, यानी सामाजिक लेखा परीक्षण में transparency लाने के लिए NGOs का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने पूछा कि देश भर में यह कब लागू होगा? कानून में लिखा है कि 5 वर्षों के अंदर लागू होगा। हम इसके दूसरे phase की तैयारी कर रहे हैं। जब हमने इसको 2006 में लागू किया है, तो 2011 तक इसको पूरा होना है.....अभी हमने सभी सदस्यों के सवालों का जवाब कहां दिया है। सभी माननीय सदस्यों के नाम लेकर, मैं उनके सवालों के जवाब देना चाहता हूं। हमने कहा कि सचिवालय स्तर के पदाधिकारी कम से कम दो प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण करें। inspection करें, जिला स्तर के पदाधिकारी कम से कम 10 प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण करें। प्रखंड स्तर के पदाधिकारी शत प्रतिशत का निरीक्षण करें। सभी राज्यों को हमने कहा है, सभी राज्यों ने सहमति व्यक्त की है, हम खुद मॉनिटरिंग करते, उन्होंने कहा है कि यह लागू ही नहीं हुआ है। राज्यों को इसे लागू करना है, वे कहीं बताएंगे, तो हम देखेंगे। ...(व्यवधान)...

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: The hon. Minister was mentioning about the State-level Vigilance and Monitoring Committees. During the NDA regime there were district-level Vigilance and Monitoring Committees. Every Member of Parliament was asked to give two names and those names were included in the district-level Committees. I would like to know whether that system continues. Is there any district-level Vigilance and Monitoring Committee? I would like to know whether you are going to reconstitute them and whether you are going to give representation to the nominees of the Members of Parliament. This should also be stated. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have put your question. That is enough.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, स्टेट लेवल विजिलेंस कमेटी का गठन हो गया है। इसमें चार लोक सभा के और एक राज्य सभा के सदस्य और 4-5 समाजसेवी कार्यकत्ता हैं।

District vigilance and monitoring ...(**व्यवधान**)...

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: I asked about the district-level Vigilance and Monitoring Committees.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have put your question. That is enough. Please take your seat.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: डिस्ट्रिक्ट लेवल के विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी के जो माननीय सदस्य एमपी साहब की अध्यक्षता में कमेटी है, उसमें सभी या तो चेयरमैन हैं अथवा को-चेयनमैन हैं। उसकी बैठक अब तक कभी नहीं हुई थी, उसकी बैठक हो रही है। 600 जिलों में से करीब 500 जिलों में बैठकें हो चुकी हैं और हम इस पर अलग से सारी रिपोर्ट बताएंगे। कुछ जिलों में अभी ढिलाई है, नहीं तो सभी बैठकों में हमने राज्य सरकारों को ...(**व्यवधान**)...

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): माननीय मंत्री बिहार से आते हैं। वे सभी राज्यों की चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी वे स्पष्ट करें।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): अभी तो वे माननीय सदस्यों का जवाब दे रहे हैं।

श्री रघवंश प्रसाद सिंह: माननीय सदस्य पी.जी. नारायणन जी ने तमिलनाडु के संबंध में चिन्ता जाहिर की। ...(**व्यवधान**)...

डा॰ प्रभा ठाकुर (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी, मेरा भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान drought prone प्रदेश है, वहां एक तिहाई से ज्यादा भाग रेतीला है। कृपया राजस्थान के बारे में विशेष रूप से जरा उदारतापूर्वक सोचते हुए शुरु करने की बात करें।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मेरा भी निवेदन है कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा बीपीएल के लोग रहते हैं। उड़ीसा के सभी 30 जिलों को इस योजना के अधीन लिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): पाणि जी, आप बैठिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, पी.जी. नारायणन साहब ने तमिलनाडु के जिले के सम्बन्ध में चर्चा की। हमने वहीं पर्याप्त राशि भेज दी है। उन्होंने रामनाथपुरम और कई जिलों का जिक्र किया था। अर्जुन कुमार सेनगुप्त जी ने कहा कि यह ठीक ढंग से लागू नहीं हो रहा है, एनजीओ का इस्तेमाल किया जाए। हमने उनका सुझाव स्वीकार कर लिया है। कठोर तंत्र विकसित किया जाए,

उसे ठीक से लागू किया जाए, हमने उसको स्वीकार कर लिया है। ...(व्यवधान)... प्रो. राम देव भंडारी ने बिहार की चर्चा की थी कि वहां बीडीओ नहीं हं, ग्राम सेवक नहीं हैं, वहां पर बड़ी खराब हालत है ...(व्यवधान)...

डा॰ प्रभा ठाकुर: मंत्री महोदय, कृपया राजस्थान के बारे में भी लगे हाथों बता दीजिए कि आपने राजस्थान में कितने और जिले स्वीकृत किए हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जिन लोगों ने भाषण दिया था, अभी मैं उनका जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You don't listen to them.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं क्रम से उत्तर दे रहा हूं। वहां पर हम 400 करोड़ भेज रहे थे और पहले से 500 करोड़ बचा हुआ था। 900 करोड़ में 20-20 फीसदी खर्च हुआ है। वहां स्थिति ठीक नहीं है। हमने लिखा-पढ़ी की। राज्य सरकार ने कहा कि पंचायती राज के चुनाव में बझे हैं, फिर बरसात में बझे हैं। अब पंचायती राज का चुनाव, बरसात भी खत्म है। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार इस पर मुस्तैदी से काम करेगी।

महोदय, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वीकली में रिपोर्ट आई है NREGA implementation reasonable beginning in Palakkad in Kerala. पल्लाकाड और केरल में बढ़िया beginning हुई है, यह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वीकली बोल रहा है और फिर बिहार में बोलता है, "worth buoyancy in Bihar". वह तो शुरू है वहां, लेकिन हमने बहुत हिदायत की है, कड़े निदेश दिए हैं कि वहां ठीक ढंग से लागू किया जाए। जहां बीडीओ नहीं है, वहां बीडीओ बहाल किए जाएं, उसका पैसा केन्द्र सरकार, जहां रोजगार सेवक नहीं है, वहां रोजगार सेवक बहाल किए जाएं, केन्द्र सरकार पैसा देगी। हमने यह सब कहा है।

श्री राजीव शुक्ल जी ने transparency की चर्चा की। हम सहमत हैं, हम पूरी transparency के पक्षधर हैं। हम इसका प्रयत्न कर रहे हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और प्रधान का nexus कहा है, हम वह nexus नहीं चलने देंगे। District Vigilance Monitoring Committee की बैठक नहीं होती। यह ठीक बात है, यह कुछ जिलों में नहीं होती, लेकिन ज्यादातर जिलों में बैठके शुरू हो गई हैं हम इसका हिसाब-किताब बता देंगे। जॉब कार्ड नहीं मिलता है, ऐसा नहीं हो सकता। जॉब काड्र्स छपने में कहीं-कहीं देरी हुई थी। महोदय, पर्मानेंट एसेट्स का हम ने हिसाब बता दिया, साढ़े 4 लाख योजनाएं कार्यरत हैं जिस मे सवा लाख के करीब वाटर कंजर्वेशन के लिए पर्मानेंट एसेट्स का सृजन हो रहा है और अन्य योजनाओं का सब का सृजन हो रहा है जिस का लाभ कुछ वर्षों में देश को साक्षात दिखेगा। फिर अवैयरनेस चलाने का, बोर्ड लगाने का कार्य, हम ने सभी को स्वीकार

किया है। महोदय, पैसे की कमी, हम सहन नहीं कर सकते। महोदय, जहां काम कम हुआ है, वहां ''पैसा कम'' की शिकायत मिली है। महोदय, ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने 60-40 का सवाल उठाया? महोदय, जिला यूनिट है, 60 परसेंट लेबर कम्पोनेंट और 40 फीसदी मटीरियल कम्पोनेंट। इस में दोनों के मिले-जुले रूप से जिलेभर में हम देखते है, 10 करोड़ रुपए हम देतें हैं—6 करोड़ मजदूरी पर, 4 करोड़ सामान खरीदने पर खर्चा हो। महोदय, कोई भी राज्य नहीं कह सकता कि पैसे नहीं मिले हैं, हरेक जिले में हमारे पैसे मौजूद हैं। श्री गांधी आजाद ने जॉब काड्र्स में हेराफेरी व मस्टर रोल, ठेकेदारों व मशीनों से कार्ड फर्जी आदि अनियमितताओं के संबंध में ध्यान आकर्षित किया है। उनको मैं आश्वस्त करता हूं कि वह जो सवाल उठा रहे हैं, यह पुराने वेज एम्प्लायमेंट का हैं रोजगार गारंटी में इस प्रकार की अनियमितता नहीं हो सकती। आपने पूछा कि पलायन में कितनी कमी है, वह हम ने बता दी। महोदय, 40 करोड़ से ज्यादा मेनडेट सृजित हुए। शेडयूल्ड कास्ट, ट्राइब्स व महिलाओं को कितना काम मिला, वह हमने हिसाब में बता दिया, एस॰सी॰/एस॰टी॰ को कितने काम मिले हैं, वह हमने बता दिया। श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी जी ने कहा है detailed complaints and action. महोदय, हरेक राज्य में जो शिकायतें आती हैं, उस की रिपोर्ट हम दे रहे हैं कि सब जगह कैसे शिकायतें आती हैं और कैसे हम जांच कराते हैं। उन्होंने आंध्रप्रदेश में गड़बड़ी की शिकायत की। हम कहते हैं कि बिचौलिए को खत्म करो, पोस्ट ऑफिस अथवा बैंक में खाता खोलो और उन के नाम पर पैसा जमा करो ताकि बिचौलिया बीच में न रहे। सब राज्यों को हम ने निर्देश दे दिया है कि उन के नाम पर पैसा जमा करो। डा॰ ज्ञान प्रकाश पिलानिया ने कहा, राजस्थान में 6 जिले ही क्यों हैं? उन्हें क्राइटेरिया के आधार पर लिया गया है। आप सेकंड फेज में संतुष्ट हो जाएंगे कि राजस्थान के भी जिले लिए जाएंगे। महोदय, हम सामाजिक परीक्षा या ''सोशॉलॉजिक'' के पक्षधर हैं, सोशॉलॉजिक की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा समान मजदूरी यह संभव नहीं है। देशभर के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार ने विभिन्न किस्म की न्यूनतम मजदूरी तय की है। के॰पी॰के॰ कुमारन साहब नहीं हैं, उन्होंने पंजीकरण और जन-अभियान चलाने और कम मजदूरी दर की बात की और 6 जिलों में, तमिलनाडु में परिवार के पीछे एक आदमी का नाम लिखा जाता है, यह बताया। नहीं, परिवार के सभी लोग काम कर सकते हैं, यह प्रावधान है। श्री के॰ केशव साहब ने कहा कि सिविल सोसाइटीज को इस में शामिल किया जाए। महोदय, हम सहमत हैं, ग्राम सभा कानूनी संस्था होनी चाहिए। ग्राम सभा कानूनी संस्था नहीं, यह संवैधानिक संस्था हैं यह संविधान में लिखा हुआ है। मारू साहब ने अनियतमतताओं का जिक्र किया है। महोदय, झारखंड में पंचायती राज का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए उस की वैकल्पिक व्यवस्था वहां की राज्य सरकार ने की है। हम वहां एन॰जी॰ओ॰ की सहायता भी करेंगे जिससे लोगों में अवैयरनेस आए। झारखंड के लिए रोजगार गारंटी सब से ज्यादा फायदेमंद है। वहां वाटर कंजर्वेशन का काम हो जाए, पड़ती-पड़त और आदिवासी भाइयों में काम के लिए जो पलायन होता है। हम को रिपोर्ट

है कि जहां काम शुरू हुआ है, वहां पलायन रूक गया है। उन्होंने सिमडेगा का जिक्र किया था, हम सिमडेगा का फिगर भेज देंगे। वहां जितने लोगों ने काम मांगा, उतनों को काम मिल गया। वह फिगर हमारे पास है, हम उन को बता देंगे। डा॰ एम॰एस॰ गिल साहब ने कहा कि कॉलेज टीचर को बहाल कीजिए। हम इस के पक्षधर हैं कि कोई इस तरह की कोई बॉडी या टिहल्ला संस्था उस की जांच करे। हम व्यवस्था कर रहे हैं कि टिहल्ला लोग जांच करें और बताएं। नारायणसामी जी ने पूछा कि स्टेट गारंटी काउंसिल कितने राज्यों में बनी है? महोदय, यह 8 राज्यों में बन गयी है, और राज्यों के लिए हम ने चिट्ठी जारी की है। नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी काउंसिल का गठन हो गया है। यह आठ राज्यों में हो गया है तथा अन्य राज्यों में इसके लिए कार्रवाई चल रही है। सभी माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जाहिर की और जो सवाल उठाया तथा जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उनको मान्य किया है। हम अभी जो further करने वाले हैं, हमारा जो चार सूत्री कार्यक्रम है– people's participation, strict vigilance and monitoring, transparency, accountability, NGO के द्वारा। हमने CAG को भी कहा है कि वह हमें परफॉरमेंस ऑडिट करके बताए। हम अपने यहां से national level monitor, district level monitor और area officer को भेज कर छान-बीन करा रहे हैं। हमने Social audit और CAG audit का प्रबन्ध किया है। मजदूरों के लिए कहा है कि सभी मजदूरों को एल॰आई॰सी॰ का कवरेज़ और हैल्थ इंश्योरेंस का कवरेज़ मिलनी चाहिए। अब हमारे सभी मजदूरों का खाता बैंक में खुलेगा, एल॰आई॰सी॰ का कवरेज़, इंश्योरेंस का और हैल्थ इंश्योरेंस का कवरेज़ मजदूरों को दिलाने के लिए कार्रवाई की है ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: उसमें पी॰एफ॰ पर आपका क्या दृष्टिकोण है? ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमने ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की है। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, how much more time would you need?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल): सर, ...(व्यवधान)... Time and Motion Study कितने प्रदेशों में हुई है और अगर नहीं हुई है, तो आप कब तक करवाएंगे?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: Time and Motion Study पर, आपके सुझाव पर तो लोगों का ध्यान अब गया है। हमने उसका Time and Motion Study करने के लिए राज्यों को कहा है कि आप Time and Motion Study करा दीजिए, जिससे ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आप Time and Motion Study किए बगैर man hour कैसे depute कर रहे थे? ...(व्यवधान)... Man days कैसे दे रहे थे? ...(व्यवधान)... कैसे दे रहे थे? ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: यह राज्यों का काम है ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती वृंदा कारत: सर, मैं इस पर दो मिनट में इनको बताउंगी। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं अहलुवालिया जी को बताउंगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मुझे Time and Motion Study का पता है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती वृंदा कारत: सर अभी तक काम के जो नियम थे, वे इतने जबर्दस्त हाई उत्पादकता के नियम थे कि कोई मजदूर उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। हम लोग गए थे और एक औरत के काम का सर्वेक्षण किया। वहां मिट्टी की कटाई तो आदमी कर रहा है, लेकिन उसका lift and lay का जो काम है, वह औरत करती है। उसमें पता चला कि जब एक औरत एक दिन में 1600 किलोग्राम मिट्टी उठाएगी, तब उसको न्यूनतम वेतन मिलेगा। पूरे देश में अभी तक यह चल रहा था। जब से यह प्रोग्राम गाँवों में शुरू हुआ, तब से यह नियम था। जब हमने मंत्री जी को यह बताया, तो इन्होंने immediately उस पर respond करके कहा कि हर प्रदेश को Time and Motion Study करनी चाहिए। कई प्रदेशों ने किया, सर। उससे बहुत फायदा हुआ, औरतों को भी और मर्दों को भी। कौन इतना काम कर सकता है और वह भी कड़कती हुई धूप में, उस मौसम में 1600 किलोग्राम मिट्टी कौन ढो सकता है? इसलिए मैं अभी मंत्री जी से पूछ रही हूँ कि अभी तक कितने स्टेट्स ने इस प्रकार की Study करके उस नियम को कम किया है और अभी तक नहीं कम किया है, तो वह कब तक पूरा हो जाएगा, यह मैं जानना चाहती हूँ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमने तो राज्यों को यह काम करने के लिए कहा कि आप सब देखिए कि मजदूरों का शोषण न हो। अब राज्य कितने समय में इसे कर देंगे, हम उनको बाध्य कर रहे हैं कि आप इसका ठीक कीजिए कि मिनिमम मजदूरों का झंझट न उठे और किसानों के खेत की मजदूरी और दूसरे सभी की मजदूरी में तालमेल स्थापित करके करें। हमने यह राज्यों पर छोड़ा है। हम राज्यों को हिदायत करते रहेंगे कि आप उचित व्यवस्था करें।

महोदय, हमने ट्रेनिंग का भी प्रबन्ध किया है। अधिकारियों-कर्मचारियों की ट्रेनिंग, PRI Institutions के सदस्य, जो देश में से चुने हुए 34 लाख लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग और साथ ही हमारी जो साढ़े चार लाख योजनाएँ चल रही हैं, उनमें से करीब 9 व्यक्ति प्रत्येक योजना में, तो 9X4= 36 लाख लोग हैं। इस प्रकार महोदय, हमने कहा है कि 36 लाख लोगों की तीन तरह की ट्रेनिंग के लिए केन्द्र सरकार सारा खर्च देगी। राज्यों से कहा कि योजना बनाइए, trainer के लिए और resourced person के लिए, NIRD को कहा है, SIRD को कहा है कि ट्रेनिंग भी कराई जाए, जिससे लोग अवगत हों और जानकार हों।

इस प्रकार महोदय, यह अंतिम पंक्ति है कि जो रोजगार गारंटी कानून सफलतापूर्वक आगे की

ओर कदम बढ़ा रहा है, जो गरीबोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी है और आने वाले समय में देश के सब गाँवों के कायाकल्प योजना की तरह यह एक वरदान साबित होगा। इसलिए हम दूसरे फेज़, तीसरे फेज की तैयारी में लग गए है। यह 5 वर्षों के अन्दर देश भर में लागू होगा। कोई कारण नहीं है कि. हिन्दुस्तान से गरीबी और बेरोजगारी नहीं भागेगी, उसको जल्दी भगाना है और 2020 तक हिन्दुस्तान को दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में ले जाना है, इसे कोई रोक नहीं सकता।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ सभी माननीय सदस्यों को और आसन को भी कि आपने इतना मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं कहता हूँ कि ग्रामीण विकास जिन्दाबाद, रोजगार गारंटी कानून जिन्दाबाद।

GOVERNMENT BILL

THE VICE-CHAIRMAN (PROF.P.J. KURIEN): Bill for Introduction. Shri Prem Chand Gupta.

THE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP BILL, 2006

THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI PREM CHAND GUPTA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to make provisions for the formation and regulation of limited liability partnerships and for matters connected therewith or incidental thereto.

The quesiton was put and the motion was adopted.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, I introduce the Bill.

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up Special Mentions. I will read the names of Members and they should lay the statements on the Table of the House.

Demand for a central university in Himachal Pradesh

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): महोदय, हिमाचल प्रदेश देश का एक छोटा सा पर्वतीय प्रदेश है, जो अपने मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए सम्पूर्ण विश्व में विख्यात है। इस प्रदेश की जनता ईमानदार, मेहनती और शंतिप्रिय है। 1948 में देश के लौहपुरुष सरदार पटेल की दूरदर्शिता के कारण छोटे-छोटे राजा-महाराजाओं द्वारा शासित 60 राज्यों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ तथा 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को इस प्रदेश का हिस्सा बनाया गया और साथ ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। आज यह प्रदेश देश का प्रगतिशील राज्य माना जाता है।